संख्या:75/2020/1777 ई-2/तेरह-2020-50/2011

प्रेषक

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहॉपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 सितम्बर, 2020

विषय:- होटल फर्स्ट चॉइस लिमिटेड, टाउन हाल, शाहजहॉपुर को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को संबोधित अपने पत्र संख्या-1672/जि.आ.अ./शाह., दिनांक 29.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.11.2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2019 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी.-48/दस-लाइसेंस-223/एफ.एल.-6-7/होटल फर्स्ट चॉइस/बार अनु./शाहजहॉपुर, दिनांक 18.08.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत होटल फर्स्ट चॉइस लिमिटेड, टाउन हाल, शाहजहॉपुर को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापित्त में दी गई शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा। साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटैक्टर से सुसज्जित सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-75/2020/1777(1)ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी.-48/दस-लाइसेंस-223/एफ.एल.-6-7/होटल फर्स्ट चॉइस/बार अनु./शाहजहॉपुर, दिनांक 18.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।